



GE LIC's NEW JEEVAN ANAND (WITH PROFITS) 90.00

एलआईसी का न्यू जीवन आनंद (लाभ सहित)

(UIN: 512N279V01)



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)/(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित शर्तित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त प्रस्तावक और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची में निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हे उक्त अनुसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध में निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची में निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दावा कर रहा हो/रहे हों, की प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे में देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो।

और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के आधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।  
THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the benefits as set out in the schedule, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted. And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

पंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: DHARWAD

अनुसूची / SCHEDULE

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| पॉलिसी संख्या/Policy No.:<br><b>608993413</b>                                   | मूल बीमाकृत राशि ₹<br>Basic Sum Assured ₹<br><b>200000</b>                        | मूल योजना के लिये प्रीमियम क्रिस्त<br>(₹) / Instalment Premium<br>for Basic Plan ₹<br><b>5587.00</b>   | प्रीमियम देय तिथि:<br>Due date of premium:<br><b>28th</b>   |
| पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/Date of<br>Commencement of policy:<br><b>28/03/2019</b> |   |  | प्रीमियम भुगतान की विधि:<br>Mode of payment of premium:<br><b>H14</b>   |
| जोखिम की तिथि/Date of<br>Commencement of Risk:<br><b>30/03/2019</b>             | दुर्घटना हितलाभ बीमा धन<br>(₹)/Accident Benefit<br>Sum Assured ₹<br><b>200000</b> | एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु<br>एवं अपंगता लाभ राइडर क्रिस्त<br>प्रीमियम ₹/LIC's Accidental<br>Death and Disability<br>Benefit Rider Instalment<br>premium ₹<br><b>100.00</b> | अंतिम प्रीमियम की देय तिथि:<br>Due Date of Payment of Last premium for:<br><b>28/09/2038</b>  |
| योजना एवम अवधि:<br>Plan and Policy Term:<br><b>815 20</b>                       |   |  | i) मूल योजना:<br>Basic Plan:<br>ii) एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर:<br>LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider: |
| पूर्णावधि की तिथि:<br>Date of Maturity:<br><b>28/03/2039</b>                    |   | कुल प्रीमियम क्रिस्त (₹)/Total<br>Instalment premium (₹)<br><b>5687.00</b>   | शर्तित व्यक्ति की जन्म तिथि:<br>Date of birth of the Life Assured: <b>09/01/1976</b>  |
|   |   |  | शर्तित व्यक्ति की आयु:<br>Age of the Life Assured: <b>23</b>  |
|   |   |  | क्या आयु स्वीकृत है?<br>Whether age Admitted? <b>Y</b>  |

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 39 के अंतर्गत नामित/Nominee under section 39 of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015:  
**SATYABHAMA**

**Mother**  
**Age: 54**

प्रस्ताव संख्या:  
Proposal No.: **11764**  
प्रस्ताव की तिथि:  
Date of the Proposal: **30/03/2019**  
लाभ चित्रण संदर्भ संख्या:  
Benefit Illustration Reference No.: **63C 0000000000**

अगर नामित अवयस्क हो, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम/If Nominee is a minor, the name of the Appointee:

प्रस्तावक का नाम और पता/Name & Address of Proposer:  
**KESHAVMURTI KRISHANA VADAVI**  
**TIGADIKERI ONI**  
**AT: PO: MULGUND**  
**TQ: DT: CADAG**  
**582117**

शर्तित व्यक्ति का नाम और पता/Name & Address of Life Assured:

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं: इसके विवरण पीछे की ओर दिए गए हैं./Events on the happening of which benefits are payable: Details are mentioned overleaf.

|  |  |
|--|--|
| बीमा धन किसको मिलेगा/<br>To whom Sum Assured payable           | प्रस्तावक या शर्तित व्यक्ति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उसके संयुक्तधर्मिता या बीमा अधिनियम 2015 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामितधर्मिता या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा.<br>The Proposer or Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 or Nominees under Section 39 of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India. |
| प्रीमियम चुकाने की अवधि/Period<br>during which premium payable | निर्धारित अंतिम क्रिस्त भुगतान की तिथि तक या इसके पूर्व शर्तित व्यक्ति की मृत्यु होने पर.<br>Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.   |
| प्रीमियम भुगतान करने की तिथि/Dates<br>when premium payable     | पूर्व निर्धारित अंतिम तारीख/On the stipulated due date <b>Mar Sep</b>  |

विशेष प्रावधान: विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है./Special Provisions: Details are mentioned overleaf.

निगम की ओर से उपरोक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी प्रवाचार किया जाना चाहिए।  
Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed:

तिथि/Date:

जांच कर्ता/Examined by:

प्रपत्र क्र./Form No.: 815

PLEASE SEE  
LAST PAGE

|   |  |   |
|---|--|---|
| एजेंसी कोड/Agency Code<br><b>615313</b> | एजेंसी का नाम/Agency Name<br><b>NAGARAJ S BARKER</b> | एजेंट का मोबाइल/टेलीफोन नम्बर<br>Agent's Mobile Number / Landline Number<br><b>9341363235</b> |
|---|--|---|

| वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं/Events on the happening of which benefits are payable :  |  |
|--|--|
| घटनाएँ/Events  | देय लाभ/Benefits Payable   |
| कथित पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्तें पॉलिसी अद्यतन प्रीमियम के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हों।<br><br>On death of the Life Assured before the end of stipulated Policy Term, provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.   | मृत्यु लाभ, जिसे "मृत्यु पर बीमाकृत राशि" और निहित प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अंतिम अतिरिक्त बोनसों के रूप में, यदि कोई हो, परिभाषित किया गया है, देय होगा, जहाँ "मृत्यु पर बीमाकृत राशि" मूल बीमाकृत राशि के 125% या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 10 गुना में अधिक के रूप में परिभाषित है, यह मृत्यु लाभ मृत्यु की तिथि पर भुगतान की गई सभी प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा, जहाँ प्रीमियम, उपरोक्त प्रीमियमों में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।<br><br>Death benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death" and vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional bonus, if any, shall be payable. Where, "Sum Assured on Death" is defined as higher of 125% of Basic Sum Assured or 10 times of annualised premium. This death benefit shall not be less than 105% of all the premiums paid as on date of death. The premiums mentioned above exclude tax, extra premium and rider premiums, if any. |
| कथित पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्तें पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू हों।<br><br>On death of the Life Assured after the end of the stipulated Policy Term, provided the policy is in full force.   | मूल बीमाकृत राशि देय होगी।<br><br>Basic Sum Assured shall be payable.  |
| पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर (यानी परिपक्वता पर) जीवन बीमित व्यक्ति के विद्यमान रहने पर, बशर्तें पॉलिसी अद्यतन प्रीमियम के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हों।<br><br>On Life Assured surviving at the end of the Policy Term (i.e. on maturity), provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.   | निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ मूल बीमाकृत राशि देय होगी।<br><br>Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and Final Additional bonus, if any, shall be payable.   |
| <b>विशेष प्रावधान:</b><br><b>एलआईसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ सुरक्षा (UIN: 512B209V01):</b> यदि एलआईसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ सुरक्षा का विकल्प चुना गया है और वह चालू है: 'शर्तें एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि के लिए लागू होगी। यदि एलआईसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ सुरक्षा का विकल्प नहीं लिया गया है: 'शर्तें एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 लागू नहीं होगी।         |  |
| <b>Special Provisions:</b><br><b>LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN: 512B209V01):</b> If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is opted for and the same is in force: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall apply for an amount equal to the Accident Benefit Sum Assured. If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is not opted for: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall not apply. |  |

### इस पॉलिसी में दी गई शर्तें व सुविधाएँ

- आयु प्रमाण :** प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उरसी अवधि के लिये निगम द्वारा उस समय प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति इसमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किश्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा।

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रावधान के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या सहलों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्तें कि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।

- प्रीमियम का भुगतान:** वार्षिक, अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिये रियायत अवधि एक माह किंतु कम से कम 30 दिन मासिक प्रीमियमों के लिये 15 दिन की रियायत अवधि दी जायेगी। यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जायेगी।

इस अवधि के दौरान और उस वक़्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी वैध रहेगी और बीमाधन का भुगतान उक्त प्रीमियम तथा अगली वर्षगांठ के पूर्व देय होने वाले अदत्त प्रीमियम की कटौती के उपरांत किया जायेगा।

यदि पॉलिसी कालातीत नहीं होती है और पॉलिसी के तहत मृत्यु की दशा में दावा किया गया होगा जहाँ प्रीमियम भुगतान का तरीका वार्षिक के अलावा होगा, भुगतान न किए गए प्रीमियम, अगर कुछ हो तो, अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पहले आनेवाली, को दावे की रकम से काट लिया जाएगा।

देय प्रीमियम "कुल किश्त प्रीमियम" होगा जिसमें निम्न शामिल होगा:

- मूल योजना के लिये किश्त प्रीमियम
- अगर एलआईसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं अपंगता लाभ सुरक्षा विकल्प चुना गया है, तो एलआईसी की दुर्घटना एवं अपंगता लाभ सुरक्षा के लिए किश्त प्रीमियम।

**3. बन्द पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन:** बन्द पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन यदि पॉलिसी रियायत अवधि के भीतर देय प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बन्द हो जाती है, तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 क्रमागत वर्ष की अवधि के

### CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

- Proof of Age:** The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be prevailing at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

- Payment of Premiums:** A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the unpaid premium/s falling due before the next anniversary of the policy.

If the policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid premium, if any, falling due before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

The premium payable will be "total instalment premium" which includes

- Instalment premium for Basic Plan and
- Instalment premium for LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider, if LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider option has been exercised.

- Revival of Discontinued Policies:** If the Policy has lapsed due to non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the lifetime of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the

**बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार**

- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्विलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्विलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।  
शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।  
**स्पष्टीकरण I :** इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, 'धोखेधड़ी' का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:  
अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;  
ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;  
स. धोखेधड़ी के इरादे से उड़ाया गया कोई अन्य कदम; तथा  
द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।  
**स्पष्टीकरण II :** बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।
- उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।  
धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।  
**स्पष्टीकरण -** कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का अग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा।
- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्विलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रश्न में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चालित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।  
शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।  
आगे शर्त यह है कि महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।  
**स्पष्टीकरण -** इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।
- इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सफूट के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

## Annexure- V

**Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015**

- No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:  
  
Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.  
  
**Explanation I-** For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-  
(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;  
(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;  
(c) any other act fitted to deceive; and  
(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.  
**Explanation II-** Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.
- Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:  
  
Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.  
  
**Explanation -** A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.
- A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:  
  
Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:  
  
Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.  
  
**Explanation -** For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.
- Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

पृष्ठांकन हेतु स्थान

SPACE FOR ENDORSEMENT



टिप्पणी: यदि आपको कोई शिकायत/पेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है:

NOTE: In case you have any complaint/grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/Ombudsman whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता  
Address of Branch Officer

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता  
Address of Grievance Redressal Officer

लोकपाल का पता  
Address of Ombudsman

SANJEEVINI COMPLEX,  
KC RANI ROAD  
GADAG

Email: [bo.630@licindia.com](mailto:bo.630@licindia.com)

Call Centre NO. 022-68276827 ( 24 x7 Service)

**Manager (CRM)**  
**L.I.C. of India,**  
**Divisional Office,**  
**DHARWAD.**

OFFICE OF THE INSURANCE OMBUDSMAN,  
NO. 19/19, JEEVAN SOUDHA BUILDING,  
GROUND FLOOR, 24th MAIN, J.P. NAGAR,  
1st PHASE, BENGALURU-560078.  
TEL : 080-26652048  
E-mail: [blmalokpal.bengaluru@gbic.co.in](mailto:blmalokpal.bengaluru@gbic.co.in)

टिप्पणी: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी भाषा विधिमन्य होगी।

NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच करें और यदि कोई अंतर्गत विवाद उत्पन्न हो तो तुरंत इसे निरीक्षण के लिए निम्नलिखित स्थान पर भेज दें।

You are requested to examine this policy, and If any dispute is found therein, send it immediately to the Insurance Ombudsman,

J P Nagar, 1st Phase, Ground Floor,

आई आर डी ए फंडेशन संख्या: 512-560 078